ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **2.782** hect for the construction of **Construction Division Barkot** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Barkot sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated:15-1-15

(C. Ravishankar)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.

Annexure-1

FORM-I
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collecor Uttarkashi.
Name of Project-Construction of motor road from sunaldi to Jashtwadi.

No.......47.......... Dated..15-1-2015.........

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.782** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division Barkot** for **Motor Road** Construction in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Dandagaon, Kudi Banal** village in **Barkot** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.782** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(C.Ravishankar)
District Magistrate,
Uttarkashi.
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डाडागांव

तहसील–बड़कोट, जिला–उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुनाल्डी से जेष्वाडी मो० परियोजना के निर्माण हेतु (0.665 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.117 हे0 सिविल सोयम भूमि..... हे0, वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल 2.782 हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुणी ——— द्वारा दिनांक 16.12.14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुणी ——— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि०बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव

ह0 / मिनाक्षी
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत डाण्डागांव विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 16:12:2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुणी (बनाल)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	शिशपाल सिंह	शिशपाल
2.	प्रहलाद सिंह	प्रहलादसिंह
3.	अष्टम सिंह	अष्टम
4.	अमिन सिंह	अमिन सिंह
5.	दीर्घपाल सिंह	दीर्घपाल
6.	चैन सिंह	चैनसिंह
7.	आजाद सिंह	आजाद
8.	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
9.	बच्चन सिंह	बच्चन
10	जयदेव सिंह	JS Rawat
11	सुखदेव सिंह	सुखदेव
12.	जयवीर सिंह	जयवीर सिंह
13.	मनवीर सिंह	मनवीर
14	सजवीर सिंह	Ajveer
15	खजाने सिंह	खजान
16	हरदेव सिंह	हरदेव
17	धनवीर सिंह	धनवीरसिंह
18	किशन सिंह	किशन
19	भगवान सिंह	भगवान
20	गोविन्द सिंह	Govind Singh

21. हरिमोहन सिंह — Harimohan
22. अन्तर सिंह — अन्तर
23. विजेन्द्र सिंह — विजेन्द्र

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत कुणी
अर्जुनी
दि0 16.12.2014
विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

24 मानेन्द्र सिंह — मानेन्द्र
25 जगमोहन सिंह — जगमोहनसिंह
26 हरेन्द्र सिंह — हरेन्द्रसिंह
27. भगत सिंह — भगतसिंह
28. जयदेव सिंह — JRawat
29. जयेन्द्र सिंह — जयेन्द्रसिंह
30 बलदेव सिंह — बलदेव

प्रपत्र–23.1

दिनांक 16.12.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डांडागांव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
2	चन्दर सिंह	चन्द्र सिंह
3	मनवीर सिंह	मनवीर
4	जयदेव सिंह	जयदेव
5	नारायण सिंह	नारायण
6	किताब सिंह	किताब
7	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
8	अतोल सिंह	अतोल सिंह
9	हरमोहन सिंह	हरमोहन सिंह
10	जगत सिंह	जगत सिंह
11	ज्ञान चन्द्र सिंह	ज्ञान चन्द्र सिंह
12	शुरवीर सिंह	शुरवीर सिंह
13	शरत सिंह	शरत सिंह
14	शशीबाला	शसीबाला
15	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र सिंह
16	बीरपाल सिंह	बीरपाल सिंह
17	हरेन्द्र सिंह	हरेन्द्र सिंह
18	दयाल सिंह	दयाल सिंह
19	ममराज सिंह	ममराज सिंह
20	चैन सिंह	चैन सिंह

ह0 / –
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत डांडागांव
ह0 मिनाक्षी
दि0............

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुनाल्डी से जेष्टाडी मोटर मार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, बड़कोट

उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुनाल्डी से जेष्टाडी मोटर मार्ग 10.465 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.1172 हे0, वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ——— हे0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 16.12.014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देव मूर्ति यादव, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देव मूर्ति यादव उपजिलाधिकारी बड़कोट अध्यक्ष
2– श्री डी.पी. [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य/सचिव
4– श्री सुनील [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र इडक (कोटी) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुनाल्डी से जेष्टाडी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.1172 हे0 वन भूमि लो0 नि0 वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सुनाल्डी से जेष्टाडी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.1172 हे0 वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रपत्र–23.3

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुण्डी

तहसील–बड़कोट, जिला–उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुनाल्डी से जेष्ठवाड़ी मो० परियोजना के निर्माण हेतु (0.665 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.1175 हे0 सिविल सोयम भूमि, ---- हे0, वन पंचायत भूमि, ---- हे0) अर्थात कुल 2.7825 हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० बड़कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुण्डी द्वारा दिनांक 26.12.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान अर्जुनी

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।